



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020

पौष 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-7

संख्या 1481/नौ-7-2020-05 (प्रयागराज)-2019

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-540

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, शासकीय अधिसूचना संख्या 2323/नौ-7-19-05 (प्रयागराज)-2019 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची-1 में:-

पूरब में ग्राम मलावा खुर्द और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

ग्राम लोदीपुर

गाटा सं०-01 से 127

कुल गाटा सं०-127 ग्राम का कुल क्षेत्रफल 39.682 हेक्टेयर

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1481/IX-7-2020-05(Prayagraj)-2019, dated December 30, 2020 :

No. 1481/IX-7-2020- 05(Prayagraj)-2019

Dated Lucknow, December 30, 2020

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government notification No. 2323/IX-7-19- 05(Prayagraj)-2019 dated 31 december, 2019:

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in Schedule-1:-

In east side after village Malawa khurd and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely:-

Village Lodipur

Gata no. 01 to 127

Total Gata 127, Total Area of Village-39.682 Hectare

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.